1806

505

विक्रय–पत्र

बैनामा :– **256000/–रूपये** सर्किल दर से मालियत :– **295000/–रूपये**

स्टाम्प शुल्क :– **15000/–रूपये,** इकरारनामे में अदा स्टाम्प शुल्क :– **नहीं**

वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क :– **15000/–रूपये** कुल शीटो की सं0:– **07**

विक्रीत सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल:– **256 वर्गमीटर**

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण :– **आवासीय खाली भूमि**

(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण का प्रकार व एक मंजिली अथवा बहुमंजिली)

कवर्ड एरिया (यदि निर्माण है तो) **नहीं**

स्थित ग्राम/नगर :– **ग्राम सढौली परगना मंगलौर तहसील रूडकी।**

(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय, अर्द्धनगरीय आदि)

क्रेता तथा विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है अथवा नही :– **नहीं**

विक्रेता का स्वामित्व का आधार :– **द्वारा विक्रय पत्र**

भूमि पटटे आदि की है अथवा नही :– **नहीं**

चकबन्दी चल रही है अथवा नही :– **नहीं**

कृषि भूमि की स्थिति में :– **नहीं**

(बाग,सिंचित/असिंचित अथवा सक्रिल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

रेट लिस्ट में पृष्ठ सं0:–**27** क्रमांक **1–क–38** सर्किल रेट:– **1000/–रूपये किन्तु भूमि 05 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौडे मार्ग पर होने के कारण 15 प्रतिशत वृद्धि पर रेट 1150/–रूपये प्रति वर्गमीटर**

अवलोकित
पी0 ओ0

आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर :– **लागू नही।**

क्या क्रेता उत्तराखण्ड राज्य का दि0 12–09–03 से पूर्व का कृषक/अचल सम्पत्ति धारक है, यदि हॉ तो सम्पत्ति कहां स्थित है :– **क्रेता कृषक है।**

क्रेता/विक्रेता या उभय पक्ष विदेशी नागरिक नही है तथा विदेशो में रह रहे भारतीय मूल के नहीं है। इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बंग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, भूटान, नेपाल के नागरिक नहीं है तथा वहां रह रहे भारतीय मूल के नहीं है।

फोटो व अंगुष्ठ चिन्ह प्रमाणितकर्ता :– **नवीन शर्मा एडवोकेट रूडकी।**

सुनीता

Naveen

Scanned with CamScanner

विक्रेता का नाम, पिता का नाम व पता :– **श्रीमति सुनीता पत्नी लोकेश निवासी ग्राम सढौली परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, फोटो पहचान पत्र संख्या WIG0065797**

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है। जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से शुद्ध व मुक्त है। किसी प्रकार से पूर्व में किसी दीगर व्यक्ति विशेष के हक में कोई इकरारनामा माहदा बैय या विक्रय पत्र पूर्व में निष्पादित नही है और न ही हस्तान्तरण अथवा बन्धक आदि है और न ही किसी बैंक संस्था या व्यक्ति विशेष से कोई ऋण आदि लेकर निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक किया हुआ है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तान्तरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप से सक्षम है। अतः प्रतिज्ञ ने अपनी मन बुद्धि तथा इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दबाव के अपने पूर्ण होशोहवास में स्वतन्त्र मन से निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले **मुबलिग :– 256000/– दो लाख छप्पन हजार रूपये में हाथ :– नवीन पटवाल पुत्र श्री मातबर सिंह पटवाल निवासी ग्राम बडगांव मल्ला पट्टी गंगवाडसयूं जिला पौडी गढवाल हाल निवासी ग्राम कोटवाल आलमपुर डाकखाना झबरेडा परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, डी0एल0 संख्या DL-0120120153279**

Scanned with CamScanner

14750

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A 336810

A 336810

~~उत्तराखण्ड~~ UTTARAKHAND

कोषाधिकारी (रुड़की)
कोड संख्या 5500
19 FEB 2015
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

को विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है तथा कुल मूल्यराशि की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है तत्पश्चात इसके कोई मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रही है और न भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता का बखूबी व वाकई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा व दखल हर प्रकार से हटा लिया गया है। अब प्रतिज्ञ वचन देते है और प्रतिज्ञा करते है कि क्रेता सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करे, हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावें और जो चाहे सो करे। अब प्रतिज्ञ तथा उसके

सुनीता

NAVEEN ...
Advocate
Civil Court, Roorkee (Haridwar) U.
Regd. No.9831/99

सुनीता

Naveen

NAVE...
Advocate
Civil Court, Roorkee (Haridwar) U.
Regd. No.9831/99

Naveen

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL 396464

1 FEB

जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

उत्तराधिकारी को, विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है और न ही भविष्य में कभी होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी के वाद विवाद करने पर निम्नलिखितसम्पत्ति कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये, तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्यराशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात खास जायदाद से वसूल कर लेवे। इसमें मुझ प्रतिज्ञ या उसके वारसान को उजर कोई नही होगा। नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जो कि बरूये एक प्रतिज्ञ पर आयद होती है, --

सुनीता

Zaveen

Scanned with CamScanner

का पूरा-पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

अतः यह विक्रय-पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है :- एक किता प्लाट पैमाइशी-

पूरब में :- 08 मीटर,
पश्चिम में :- 08 मीटर,
उत्तर में :- 32 मीटर,
दक्षिण में :- 32 मीटर

कुल क्षेत्रफल 256 वर्गमीटर अर्थात 2754.56 वर्गफुट जिसके हदूद

पूरब में :- रास्ता आम लगभग 23 फुट चौडा,
पश्चिम में :- भूमि लोकेश,
उत्तर में :- भूमि समेन्द्र,
दक्षिण में :- भूमि लोकेश कुमार है।

प्लाट सम्बन्धित खसरा नम्बर-505 मि0 स्थित ग्राम सढौली परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार। विक्रेता ने उपरोक्त भूमि द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 19-09-2014 को समेन्द्र पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी ग्राम शेरपुर खेलमऊ परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार से खरीद की हुई है। जिसकी रजिस्टरी बही नमबर-1 जिल्द-212 के पृष्ठ 95 से 112 में नम्बर-5520 पर दिनांक 19-09-2014 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार रूडकी में हुई है। विक्रेता व क्रेता के आधार पर उनके बताये अनुसार व उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर बैनामा हाजा ड्राफ्ट किया गया है। मय जुमला हक हकूक हर प्रकार सहित।

विवरण वसूलयाबी जेरे समन:- विक्रेता ने क्रेता से कुल मूल्यराशि मु0-256000/-रूपये का चैक नम्बर-921753 भारतीय स्टेट बैंक झबरेडा दिनांक 18-02-2015 का प्राप्त कर लिया है। अब कोई धनराशि विक्रेता की बजिम्मे क्रेता शेष नहीं रहीं है और न हीं भविष्य में कभी होगीं।

विक्रेता के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :-

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

सुनीता

Naveen

विक्रेता के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान :–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

ह0 गवाह [illegible]
[illegible]
पुत्र करम सिंह
नि० ग्राम सदौली
पो० [illegible]

ह0 गवाह ....
अमित कुमार शर्मा
S/O टेक चन्द शर्मा
नि० 954 सैक्टर 21C
फरीदाबाद हरियाणा.

दिनांक :– 21–02–2015 ई0

ड्राफटिडबाई :– नवींन शर्मा एडवोकेट रूडकी।

NAVEEN SHARMA
Advocate
Civil Court, Roorkee (Haridwar) U.
Regd. No. 9831/99

सुनीता

Naveen

बही संख्या 1 जिल्द 2,589 के पृष्ठ 95 से 108 पर क्रमाक 1806

पर आज दिनांक 21 Feb 2015 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,रुड़की,द्वितीय
21 Feb 2015

दाव संख्या 69/14-15 से
असल दस्तावेज [illegible] किया गया।
रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील रुड़की

Scanned with CamScanner